

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
9वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली


विधायक का नाम : श्री राजेश गुप्ता

दिनांक : 30.07.2021

विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या : 36

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या दिल्ली नगर निगम द्वारा कोविड महामारी के इस समय में अतिरिक्त कर में 17 प्रतिशत की वृद्धि न्यायसंगत है,	<p>उत्तरी दिल्ली नगर निगम:- उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में सम्पत्ति पर की दरों में 17 प्रतिशत की अतिरिक्त कर की कोई बढ़ोतरी नहीं की है ।</p> <p>पूर्वी दिल्ली नगर निगम:- पूर्वी दिल्ली नगर निगम के किसी विभाग द्वारा 17 प्रतिशत कर की वृद्धि नहीं की गई है ।</p> <p>दक्षिणी दिल्ली नगर निगम:- दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में किसी भी कर की दरों में 17 प्रतिशत अतिरिक्त कर की बढ़ोतरी नहीं की है ।</p>
ख	क्या इस कर वृद्धि के कारण व्यापारियों को होने वाली कठिनाईयों से सरकार अवगत है,	<p>उत्तरी दिल्ली नगर निगम:- उपरोक्तानुसार</p> <p>पूर्वी दिल्ली नगर निगम:- लागू नहीं ।</p>
ग	क्या इस अतिरिक्त भार को कम करने हेतु सरकार का कोई प्रस्ताव है, और	<p>दक्षिणी दिल्ली नगर निगम:- उपरोक्तानुसार</p>
घ	यदि हाँ, तो उसका विवरण ?	


Deputy Secretary (Admn.)
Urban Development Deptt.
Govt. of N.C.T. of Delhi
9th Level, Delhi Sectt.
New Delhi-110002